राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.3(55)नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर, दिनांक : 05 जुलाई, 2021

आदेश

राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 25 जून, 2021 में लिए गए निर्णयानुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभाग द्वारा जारी की गई भूमि आवंटन नीति–2015 में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.06.2021 के बिन्दु सं. 9.3 में निम्नानुसार राजकीय विभागों को निर्धारित सीमा तक निःशुल्क भूमि का आवंटन स्थानीय स्तर पर किए जाने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, जिसके क्रम में राजकीय विभागों को निर्धारित सीमा तक भूमि का आवंटन स्थानीय निकायों के स्तर से किया जाना सुनिश्चित करावें :–

क्र.सं.	विभाग का नाम	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय	संभागीय मुख्यालय पर– 2000 व.मी. तक तथा अन्य स्थानों पर– 3000 व.मी. तक
2	माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय	संभागीय मुख्यालय पर– 4000 व.मी. तक तथा अन्य स्थानों पर– 6000 व.मी. तक
3	महाविद्यालय (सामान्य, तकनीकी, पॉलिटेक्निक, चिकित्सा, आई.टी.आई सहित)	संभागीय मुख्यालय पर– 10,000 व.मी. तक तथा अन्य स्थानों पर– 13,000 व.मी. तक
4	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु भूमि आवंटन	1000 व.मी. तक
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	4000 व.मी. तक
6	उप स्वास्थ्य भवन	500 व.मी. तक
7	पुलिस थाना	2000 व.मी. तक
8	पुलिस चौकी	500 व.मी. तक
9	अन्य ग्राम/ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालय	500 व.मी. तक
10	अन्य तहसील/पंचायत समिति स्तरीय कार्यालय	4000 व.मी. तक
11	अन्य उपखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यालय	5000 व.मी. तक

उपरोक्त सीमा से अधिक आवंटन की स्थिति में प्रस्ताव मय औचित्य के राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जावेंगे। साथ ही राज्य सरकार द्वारा पोषित मण्डल/निगम/उपक्रम को आरक्षित दर से कम दर पर (50 प्रतिशत से कम नहीं) राशि पर आवंटन किया जा सकता है, जिसके लिए भी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।"

आज्ञा से

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner